न्यायालय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्र.क्र. /2016 निगरानी

1. मलखान पुत्र मांगीलाल मीणा निवासी ग्राम जैदा तहसील श्योपुर जिला श्योपुर म.प्र.
2. महिला नाथी पुत्री नारायण पत्नी गोरधन मीणा निवासी ग्राम जैदा तहसील श्योपुर जिला श्योपुर म.प्र. .....आवेदकगण

बनाम

मध्यप्रदेश शासन .....अनावेदक

निगरानी आवेदन अंतर्गत धारा 50म.प्र.भू–राजस्व संहिता विरूद्ध आदेश दिनांक 24.02.2016 प्रकरण क्रमांक 102/2010–11 स्वमेव निगरानी द्वारा पारित अपर कलेक्टर जिला श्योपुर म.प्र.

महोदय,

श्रीमान जी के समक्ष निगरानी आवेदन निम्नलिखित प्रस्तुत है:–

प्रकरण के तथ्यः–

1. यहकि, आवेदक क्रमांक 1 द्वारा तहसील न्यायालय श्योपुर के समक्ष आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 168, 169, 190 सहपठित धारा 110 का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम जैदा की भूमि सर्वे क्रमांक 254 रकवा 4 बीघा 4 विश्वा का अभिलिखित भूमि स्वामी आवेदक क्रमांक 2 हैं जिस पर आवेदक क्रमांक 1 द्वारा आवेदक क्रमांक 2 को 4 हजार रूपया तथा भू–राजस्व का 15 गुना प्रतिफल की राशि देकर प्रश्नगत भूमि को पट्टे पर प्राप्त कर कब्जा लिया गया था तब से आवेदक क्रमांक 1 को संहिता की धारा 169 के तहत मौरूषि कृषक के स्वत्व उदभुत होकर संहिता की धारा 190 के तहत भूमि स्वामी के हक अर्जित हो चुके है। अतः प्रश्नाधीन भूमि पर आवेदक क्रमांक 2 का नाम राजस्व अभिलेखों से हटाकर आवेदक क्रमांक 1 के नाम

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0 प्र0,ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 1335–एक/16 जिला–श्योपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
11–2–19	आवेदक के अधिवक्ता श्री पी0 के0 तिवारी उपस्थित। आवेदक के अधिवक्ता के तर्क सुने तथा प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों का अध्ययन किया। अध्ययन से प्रतीत होता है कि इस न्यायालय में आवेदक अधिवक्ता द्वारा अपर कलेक्टर जिला श्योपुर के प्रकरण क्रमांक 102/2010–11/स्व0 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 24.2.2016 के विरूद्व म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा–50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। 2– म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 में वर्ष 2018 में किये गये संशोधन प्रभावी दिनांक 25.9.18 के अनुसार संहिता की धारा 50 (2) इस प्रकार है:– धारा–50 (2) पुनरीक्षण के लिये कोई आवेदन– (ख) इस संहिता के अधीन प्रथम निगरानी में पारित किसी अंतिम आदेश के विरूद्व ग्रहण नहीं किया जावेगा। 3–परिणामस्वरूप इस न्यायालय में संचालित नही होने के कारण प्रकरण अपर आयुक्त चंबल संभाग मुरैना के न्यायालय में स्थानातंरण किया जाता है तथा पक्षकार दिनांक 15/04/19 को उपस्थित हों। पेशी दिनांक 15/4/19 सदस्य अपर आयुक्त चंबल संभाग मुरैना	